राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 821/2012/श्रीगंगानगर

मैसर्स गगन स्वीट भण्डार, ...अपीलार्थी
श्रीगंगानगर

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, ...प्रत्यर्थी
घट–प्रथम, वृत–ए, श्रीगंगानगर

2. अपील संख्या – 1865/2012/श्रीगंगानगर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, ...अपीलार्थी
घट–प्रथम, वृत–ए, श्रीगंगानगर

बनाम

मैसर्स गगन स्वीट भण्डार, ...प्रत्यर्थी
श्रीगंगानगर

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक .....व्यवसायी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से

दिनांक : 22/10/2018

निर्णय

1. अपील संख्या 821/2012 अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे **"व्यवहारी"** कहा जायेगा) द्वारा एवं अपील संख्या 1865/2012 विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 08.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–ए, श्रीगंगानगर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 30 के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 के लिये पारित आदेश के जरिये आरोपित कर एवं ब्याज मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे जाने तथा विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों का विवरण निम्न तालिकानुसार है:–

अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति अंतर्गत धारा 65
821/12	402/आरएसटी/श्री गंगानगर	2005–06	96,789	50,330	–
1865/12			–	–	1,93,578

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णीत किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

3. विवादित प्रकरण में मीठी गोली (Sugar Candy) को कन्फैक्शनरी मानते हुए इस बिन्दु पर कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 30 सपठित वैट अधिनियम की धारा 26 के तहत पूर्व पारित कर निर्धारण आदेश को रिओपन करते हुए 8 प्रतिशत की कर दर से कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया है। इस आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील किये जाने पर अपीलीय आदेश दिनांक 08.02.2012 द्वारा कर एवं ब्याज की तो पुष्टि की गई है, परन्तु शास्ति अपास्त की गई है। इस अपीलीय आदेश से व्यथित होकर ये अपीलें क्रमशः व्यवहारी एवं राजस्व द्वारा कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई हैं।

4. व्यवसायी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम की धारा 30 के तहत पारित कर निर्धारण आदेश इस विधिक बिन्दु पर ही अपास्तनीय हैं क्योंकि प्रकरण में न तो कोई टर्नओवर निर्धारित होने से रह गई है एवं न ही कोई कर आरोपण से छूटा है बल्कि पूर्व में पूर्ण विचार कर आदेश पारित किए गए थे एवं आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के निर्देशों के तहत धारा 30 में कर निर्धारण करना विधि में अंकित नहीं है। उनका यह भी कथन है कि उनके द्वारा निर्मित मीठी गोली में शर्करा (sucrose) की मात्रा 90% से अधिक है तथा अन्य घटक essence, preservatives आदि नगण्य मात्रा में है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने 12.96% मानकर तथ्यात्मक त्रुटि की है। उनका यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने ग्लूकोज़ को सुक्रोज़ (sucrose) नहीं मानते हुए इसे अन्य आइटम मानते हुए ही 12.96% का प्रतिशत तय किया है जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलार्थी द्वारा मीठी गोली (sugar candy) का निर्माण किया गया था जिसके घटक sugar, Glucose एवं अत्यंत नगण्य मात्रा

में एसेंस प्रयुक्त किया गया है। इस निर्मित माल में सुक्रोज की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक होने के कारण मूल कर निर्धारण आदेशों में इसे शर्करा का ही एक प्रकार मानते हुए करारोपण से मुक्त रखा गया था।

8. प्रकरण की पृष्ठभूमि में तथ्य यह है कि बीकानेर की ही एक फर्म मैसर्स हीरालाल मुरलीधर द्वारा शुगर कैंडी का निर्माण कर "मीठी गोली" के नाम से विक्रय किया जाता था एवं मीठी गोली को शुगर का ही उत्पाद मानते हुए इस करमुक्त माल के रूप में विक्रय किया जा रहा था, परन्तु विभाग द्वारा Sugar Candy पर करारोपण करने पर राजस्थान विक्रय कर अधिकरण द्वारा यह निर्णय किया गया कि मीठी गोली वास्तव में शुगर की ही एक अवस्था (Form) है एवं यह भी निष्कर्ष दिया गया कि 90 प्रतिशत से अधिक मात्रा में सुक्रोज वाली मीठी गोली, शुगर की परिभाषा में ही शामिल होगी एवं ऐसे विनिर्मित माल को करमुक्त होना निर्णीत किया गया।

9. राजस्थान विक्रय कर अधिकरण, अजमेर के निर्णय के विरूद्व राजस्व की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर करने पर रिवीजन संख्या 199/1988 निर्णय दिनांक 08.07.1992 में ट्रिब्यूनल के निर्णय का पूर्ण विवेचन कर मीठी गोली जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक मात्रा में सुक्रोज रहती है उन्हें शुगर मानने के निर्णय की पुष्टि की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **सीटीओ बनाम हीरालाल मुरलीधर** (*1993 Tax World 32*) के प्रकरण में दिये गये निर्णय का सुसंगत भाग निम्न प्रकार है –

> *"Meethis Goli i.e sugar candy, is only a transformation of sugar in this shape and nothing mixed with the sugar in its praparation and the sugar element in meethi goli is wholly predominant and contains sucrose more than 90% it is pure heated boiled and dried-up form of sugar and thus, does not fall within the category of confectionery".*
>
> *"The word confectionery thus, included within its ambit great varieties of articles usually sold in confectioner's shop in such products, though forms a larger part but it is a product which is prepared by an act of proper blending and mixing various articles in the sugar."*
>
> *"Confectionery has not been defined under the Rajasthan Sales Tax Act. According to webster's third New international dictionary, confectioner means the making of confection and the 'confection' means mixture: a preparation esp; for human made by mixing divergent ingredients. According to random house dictionary of English language confection' means the process of compounding, preparing or mixing something. According to Oxford English dictionary, 'confectionery' means mixing' compounding thing*

compounded, esp; sweet-meat, cakes and white treacles. According to Stouts Dictionary, 'confectionery' means: a sweet-meat. The word confectionery thus, includes within its ambit great varieties of articles usually sold in confectioner's shop and in such procucts though sugar forms a larger part but it is a product which is prepared by an act proper blending and mixing various articles in the sugar. Meethi goli i.e. sugar candy is only a transformation of sugar in its shaps and nothing is mixed with the sugar in its preparation and the sugar element in Meethi goli is wholly predominant and ontains sucrose more than 90% it is pure heated, boiled and dried-up form of sugar and thus, does not fall within the category of 'confectionery' because to fall within the category of confectionery, mixing and blending something other with 'sugar' is necessary while in the sugar candy, ***no other edible articles have been mixed and it contains purely the lumps of sugar.*** *Looking to the legislative intent of granting exemption by the lumps of 'sugar' as defined in the Act, 1954 the sugar candy which is only transformation of sugar in different form of shape, dose not fall within the category of 'confectionery'. The sugar candy is a pure form of sugar only and therefore, it is not liable to be taxed."*

10. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय बीकानेर के ही वृत 'बी' के वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा समान तथ्यों पर किये गये कर निर्धारण पर दिया गया निर्णय है जिसके आधार पर वर्ष 1988 के पश्चात् समस्त कर निर्धारण विभाग द्वारा किये जाते रहे हैं, ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी विपरीत तथ्य के एवं बिना विपरीत न्यायिक निर्णय के पूर्व पारित आदेशों को रिओपन कर दिया गया जो विधि के विरूद्व है।

11. उक्त विवेचन अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समान तरह से उत्पादित मीठी गोली के प्रकरण में इसे Form of sugar मानने के निर्णय को बिना किसी भिन्न तथ्यों एवं भिन्न निर्णयों के नहीं माना जाना न्यायिक निर्णय एवं विधि के विरूद्व है। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उक्त निर्णय के विपरीत कोई निर्णय प्रस्तुत नहीं किया है। समान तथ्यों पर आधारित राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय **मैसर्स राज फूड प्रोडक्ट्स बीकानेर बनाम सहायक आयुक्त** (अपील संख्या 419 से 422/2012/बीकानेर **निर्णय दिनांक 11.07.2018**) इस प्रकरण पर पूर्णतया लागू होने के कारण व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

12. यह भी उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्य घटक अवयवों (other ingredients) का जो प्रतिशत 12.96% दिया है उसमें अधिकांश मात्रा ग्लूकोज़

की है परन्तु ग्लूकोज़ भी शर्करा (Sucrose) की श्रेणी में ही आने से इसे शर्करा से भिन्न घटक अवयव (ingredient) नहीं माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी ने तथ्यात्मक त्रुटि की है। लिक्विड ग्लूकोज़ को कम करने पर अन्य ingredients का प्रतिशत 10% से कम आता है तथा शर्करा का प्रतिशत 90% से अधिक आने के कारण प्रश्नगत उत्पाद शुगर कैण्डी की श्रेणी में ही आता है। अतः व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक विभागीय अपील का प्रश्न है, चूंकि प्रश्नगत उत्पाद पर किया गया करारोपण अपास्त कर दिया गया है जिससे शास्ति का प्रश्न स्वमेव ही समाप्त हो जाता है, अतः विभागीय अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

13. उक्तानुसार कर एवं ब्याज के बिन्दु पर व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है तथा शास्ति के बिन्दु पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

22.10.2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष